THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRI MUTHYAL RAO): (a) and (b). Proposals for the amendment of the Untouchability (Offences) Act, 1955, are under consideration in consultation with the State Governments. It is hoped that the final decisions will be taken very shortly.

Mobile Polling Booth

52. SHRIMATI SAVITRI SHYAM : SHRI NARAIN SWARUP SHARMA : SHRI J. SUNDAR LAL : SHRI SRADHAKAR SUPA-KAR :

Will the Minister of LAW AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) wether a mobile polling booth was used on an experimental basis for casting votes in the recent bye-election to Lok Sabha from Sultanpur Parliamentary Constituency; and

(b) if so, the conclusions drawn from this experiment, and the decision taken by Government thereon?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WFLFARE (SHRI GOVIND MENON) : (a) Yes, Sir.

(b) The result was that where as the average turnout of the voters in the byeelection in Sultanpur Parliamentary constituency held on 18. 5. 1969 was near about 18% the turn-out at the mobile station was more than 45%. But for the comparatively large turn-out in the mobile polling station the average turn-out for the whole constituency would have been much less than 18%. Information regarding Assembly constituencies and polling areas in which there may be apprehension of large-scale intimidation of electors is being collected before a final decision is taken.

छोटी कार परियोजना

*53. श्री निहाल सिंहः श्री हिम्मत सिंहकाः श्री गु० च० नायकः श्री जे० के० चौषरीः भी रामचन्द्र बीरल्पाः भी विभूति मिश्रः डा० सुझीला नैयरः भी अब्दुल गनी दारः भी विकम चन्द महाजनः भी यमुना प्रसाद मंडलः भी गार्डिलिंगन गौडः

क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कागें के मूल्य में वृद्धि को घ्यान में रखते हुए छोटी कार बनाने वाली परियोजना में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) छोटी कार बनाने वाला कारखाना कहां पर स्थापित किया जायेगा और वह सर-कारी क्षेत्र में स्थागित होगा अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित होगा; और

(ग) निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण है ?

औद्यौगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (भी फखरुद्दीन अली अहमद) [:] (क) छोटी कार परियोजना के बारे में वित्त मंत्रालय तथा योजना ग्रायोग के साथ विचार-विमर्श किया गया है, किन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका है।

(ख) परियोजना पर निर्णय ले लेने के पश्चात इन मामलों पर विचार किया जायेगा ।

(ग) परियोजनाका निर्णय समूची योजना की अर्थ-व्यवस्था तथा प्राथमिकताओं में से इस के लिए घन के ग्रावंटन पर निर्भर करता है। इस मामले में अन्तिम रूप से निर्णय लेने से पहले सभी मुख्य पहलुओं पर सावधानी पूर्वक विचार करना होगा तथा इस प्रक्रिया से काफी समय ल्गने की आशा है।